न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देहरादून
उपस्थितः प्रदीप पंत, यू.के.एच.जे.एस.
जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1275 सन् 2023

कान्तानाथ पुत्र स्व0 श्री मौसमनाथ, निवासी घोसीपुरा,
थाना पत्थरी, जिला हरिद्वार

प्रति

राज्य

मु0अ0सं0– 205 सन् 2023
अं0धारा–380, 457, 411 भा0दं0सं0
थाना–रायपुर, देहरादून

अभियुक्त की ओर से – श्री जतिन अग्रवाल, एडवोकेट
राज्य की ओर से – श्री गुरू प्रसाद रतूड़ी, जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)

दिनांक 10.08.2023

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त कान्तानाथ द्वारा थाना रायपुर, देहरादून के मुकदमा अपराध संख्या 205 सन् 2023, अन्तर्गत धारा 380, 457, 411 भारतीय दण्ड संहिता में जमानत प्रदान किये जाने हेतु दिया गया है।

2. अभियुक्त का कथन है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उससे दर्शाई गई बरामदगी झूठी है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह दिनांक 10.07.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसी परिस्थिति में, जबकि अभियुक्त बीमार है, उसको जमानत प्रदान कर दी जाए।

3. जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त की माता सुन्दरी द्वारा अपना शपथपत्र प्रस्तुत करते प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को अभियुक्त की तरफ से दिया गया प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र होना बताया गया है और कहा गया है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

4. अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए मामले के विवेचक की आख्या प्रस्तुत की गई है, जिसमें जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् उसकी निशानदेही पर इस मामले से सम्बन्धित चोरी का माल बरामद किया गया है।

5. इस संबंध में मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री जतिन अग्रवाल तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री गुरू प्रसाद रतूड़ी को सुना गया व पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. वर्तमान मामले में, वादी मुकदमा विजय कुमार द्वारा दिनांक 15.05.2023 को एक लिखित तहरीर थाना रायपुर में इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई कि, दिनांक 13.05.2023 को वह सांय करीब साढ़े छः बजे वह अपने घर में ताला लगाकर रानीपोखरी चला गया था, दूसरे दिन 14.05.2023 को शाम के करीब साढ़े छः बजे जब वह घर पहुंचा तो घर के दरवाजे का कुण्डा टूटा हुआ था और आलमारी तोड़कर नकदी व जेवर चोरी कर लिए गये थे। जिनमें 4,000/—रू0 नकद, सोने की अगूंठी, मंगलसूत्र सोने का, कान के बूंदे सोने के, सोने की जंजीर, जेवर का बैग, उनके बिल, लेदर का बैग, मोबाईल फोन आदि सम्मिलित थे। इस आशय की तहरीर पर थाना रायपुर में मु0अ0सं0 205 सन् 2023, अंतर्गत धारा 380, 457 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त को दिनांक 09.07.2023 को पुलिस पार्टी द्वारा मुखविर की सूचना पर अन्य अभियुक्त के साथ अभिरक्षा में लिया गया और उनकी निशानदेही पर वर्तमान मामले से सम्बन्धित चोरी का माल बरामद किया गया। इस आधार पर अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380, 457, 411 के अंतर्गत अभिरक्षा में लिया गया।

7. विवेचना के दौरान अभियुक्त से बरामद माल की वादी मुकदमा से शिनाख्त नहीं कराई गई है, न ही अभियुक्त की गिरफ्तारी या बरामदगी के समय किसी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह दिनांक 09.07.2023 से अभिरक्षा में है। ऐसी परिस्थिति में, मामले के गुणदोष पर टिप्पणी न करते हुए और यह देखते हुए कि मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. आवेदक/अभियुक्त कान्तानाथ का प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1275 सन् 2023 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को रू0 20,000/– (बीस हजार रूपये) का स्व–बन्धपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाए।

(प्रदीप पंत)
सत्र न्यायाधीश,
देहरादून